

दिनांक 20.08.2015 को परिषद दिवस में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नामः— चतुर्थ वृत्त, कानपुर

प्रगति दिनांक:-1.10.2015

क्रमांक	आवेदक का नाम, पता एवं मोबाईल नं०	शिकायत का विषय	यदि पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि	निस्तारण हेतु दिया गया समय— (तत्काल/7 दिन/ 15 दिन)	कार्य से सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति	टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)
1.	श्री राम मिलन सिंह 135/2 राजीव नगर, कानपुर मो०नं०-9919669955	यो०सं०-1, कानपुर में स्थित एच/सी.पी.-5 से विद्युत पोल हटवाने के सम्बन्ध में।	—	15 दिन	खण्ड के पत्रांक 160/वाई-1/99 दिनांक 31.08.15 द्वारा केस्को कल्यानपुर को आवंटी के भूखण्ड से विद्युत पोल हटवाने हेतु पत्र लिखा गया। कार्यवाही केस्को से प्रगति पर है।	प्रकरण निस्तारित
2.	श्री मनोज कुमार शुक्ला पुत्र ब्रजलाल शुक्ला नौवस्ता कानपुर मो०नं०-8858723950	योजना संख्या-2, कानपुर के भूखण्ड सं०-2250 पर स्थल पर कब्जा देने के सम्बन्ध में।	—	15 दिन	भूखण्ड संख्या 2250 के स्थान पर दूसरा भूखण्ड दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः जमा की गयी धनराशि प्राप्त करने हेतु कार्यालय के पत्र सं० 1575/वाई-5/326 दि० 14.9.15 द्वारा आवंटी को पत्र प्रेषित किया गया है।	प्रकरण निस्तारित
3.	श्री विमल कुमार निवासी-117/एन/721 तुलसी नगर काकादेव, कानपुर मो०नं०-9839108313	योजना संख्या-1, कानपुर में स्थित भूखण्ड एच-40 की बाउण्डी बनवाने के सम्बन्ध में।	—	1 माह	सन्दर्भित भूखण्ड की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर प्रपत्रों को उपलब्ध कराने के उपरान्त ₹० 100.00 के स्टाम्प पेपर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाउण्डीवाल निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है एवं पत्र में सन्दर्भित याचिका में कोई भी स्थगन प्रभावी नहीं है। इसकी सूचना प्रार्थी को खण्ड के पत्रांक 2470/एम-18/ 96 दिनांक 03.09.15 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।	प्रकरण निस्तारित
4.	श्री सुखवीर निवासी-जी-2182 यो०सं०-1, कानपुर मो०नं०-9415426699	यो०सं०-1, कानपुर में स्थित जी-2182 के समुख बनी सड़क से अतिक्रमण हटवाने के सम्बन्ध में।	—	एक माह	6.00 मीटर रोड में से 2.00 मीटर रोड पर अवैध निर्माण को हटाने तथा अनाधिकृत आबादी के लोगों द्वारा परिषद की सीवर लाइन में किये गये अवैध कनेक्शन को हटाने का अनुरोध किया है। परिषद की इस योजना की सड़कें एवं सीवर तथा जलापूर्ति आदि सेवाएँ नगर निगम को हस्तान्तरित हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर को खण्ड के पत्रांक 2488/एम-18/95 दिनांक 08.09.15 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया जिसकी प्रतिलिपि प्रार्थी को प्रेषित है।	प्रकरण निस्तारित
5.	श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र स्व० कृपा शंकर श्रीवास्तव निवासी-117/201 काकादेव कानपुर मो०नं०-9838877778	विस्थापित कोटे के अन्तर्गत पंजीकरण कर भूखण्ड/भवन आवंटन कराने के सम्बन्ध में।	—	15 दिन	सम्पत्ति प्रबन्ध के पत्र संख्या-1266/स०प्र० दिनांक 24.04.15 द्वारा आपका प्रार्थना दिनांक 10.04.15 द्वारा खण्ड को पुष्टि हेतु उपलब्ध कराया गया था। खण्ड के पत्रांक 1685/दब्ल्यू-32/139 दिनांक 30.06.15 द्वारा प्रार्थना पत्र में सन्दर्भित आराजियों के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी(भ०आ०/आवास) कानपुर नगर से आराजी नम्बरों एवं रकवा सहित अर्जन के सम्बन्ध में पुष्टि हेतु अनुरोध किया गया था। अपर जिलाधिकारी(भ०आ०/आवास) कानपुर नगर ने अपने पत्रांक 250/आठ-वि०भ०आ०(आवास) कानपुर दिनांक 13.07.15 द्वारा अवगत कराया गया है कि गाटा संख्या-779, 780, 782, 787, 788, 789 कुल रकवा 2-12-0 बीघे में प्रार्थी का 1/8 अंश है। जिसकी	

					सूचना खण्ड कार्यालय के पत्रांक 2465 / डब्ल्यू-32 / 191 दिनांक 03. 09.15 द्वारा सम्पत्ति पबन्धक योजना संख्या-1 / 3 कानपुर को प्रेषित की जा चुकी है। जिसकी सूचना प्रार्थी को खण्ड के पत्रांक 2466 / एम-18 / 93 दिनांक 03.09.15 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। सं0प्र0 योजना सं0-1 / 3, कानपुर द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17 / 20 कानपुर के पत्रांक 2749 / सं0प्र0 दि0 18.09.15 द्वारा विस्थापित कोटे में रिक्त सम्पत्ति होने के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित करने हेतु पत्र निर्णीत किया गया।	
6.	श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री पुत्र श्री बालकराम अग्निहोत्री निवासी-प्लाट नं0-7 अशोक नगर कानपुर मो0नं0-9721330852	व्यवसायिक भूखण्ड सं0-जे / काम-1 / 1 का स्थल पर कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।	-	एक सप्ताह	सन्दर्भित भूखण्ड ग्राम हसनपुर परगना, तहसील व जिला कानपुर की आबादी से सटा हुआ स्थित है। जिसके कब्जा के सम्बन्ध में गाँव वालों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पुलिस प्रशासन से पुलिस बल एवं शान्ति व्यवस्था हेतु मजिस्ट्रेट की मांग की गयी है। पुलिस के सहयोग से भूखण्ड का चिन्हीकरण हो गया है परन्तु बाउण्डी की खुदाई गाँव वालों के विरोध के कारण नहीं हो पा रही है। पी0ए0सी बल एवं मजिस्ट्रेट अभी उपलब्ध नहीं हो पाये हैं जैसे उपलब्ध होते हैं तदानुसार भूखण्ड का कब्जा मौके पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। जिसकी सूचना प्रार्थी को खण्ड के पत्रांक 2469 / एम-18 / 95 दिनांक 03.09.15 के द्वारा दी जा चुकी है।	